	न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, गिरिडीह **वाद सं0–93 / 2023** राम प्रसाद ठाकुर वगैरह **बनाम** राजेन्द्र ठाकुर वगैरह **(धारा–144 दं0प्र0सं0)**	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित
	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
6.06.2023	प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन पत्र एवं तत्सम्बधी थाना प्रभारी, बेंगाबाद थाना से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर उभय पक्ष के विरूद्ध निम्नांकित विवादग्रस्त भूमि पर दं0प्र0सं0 की धारा–144(i) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उनसे कारण–पृच्छा की मांग की गई :– **भूमि की विवरणः**–मौजा–खुटाबांध थाना–बेंगाबाद जिला–गिरिडीह के अन्तर्गत खाता नं0 11 प्लॉट नं0 86 रकवा 40 डी0 तथा चौहदी–उ0–गैरमजरूआ जमीन। द0–नीज जमीन आवेदक का प्लॉट नं0 87 पू0–पी0सी0सी0 रोड़, प0–आवेदक की माता सुकरी की जमीन। प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष संख्या 01 द्वारा अपना–अपना कारण–पृच्छा / कागजात समर्पित किया गया। प्रथम पक्ष का दावा है कि तुलसी हजाम, हरिहर ठाकुर एवं चन्द्रिका ठाकुर ने संयुक्त रूप से खाता नं0 11 एवं 09 प्लॉट नं0 86 के अन्तर्गत 40 डी0 जमीन सहित अन्य कुल 2.00 (दो एकड़) जमीन बजरिए निबंधित केवाला के वर्ष 1972 में संजीदा खातुन से क्रय किया एवं दखलकार हुआ तथा दाखिल–खारीज के पश्चात सरकार को लगान का भुगतान कर सरकारी लगान रसीद हासिल किया। तुलसी हजाम अपने तीन लड़के–राम प्रसाद ठाकुर, राधेश्याम ठाकुर एवं सहदेव ठाकुर को छोड़कर मरे, जो इस वाद में प्रथम पक्ष के सदस्य है। हरिहर ठाकुर अपने तीन लड़के–राजेन्द्र ठाकुर, सुरेन्द्र ठाकुर एवं महेन्द्र ठाकुर (द्वितीय पक्ष संख्या 01 से 03) को छोड़कर मरे। चन्द्रिका ठाकुर अपने तीन लड़के–अनिल ठाकुर, सुनिल ठाकुर एवं रतन ठाकुर (द्वितीय पक्ष संख्या 04 से 06) को छोड़कर फौत कर गए। इस प्रकार उभय पक्ष के सदस्य संयुक्त रूप से अपने सुविधानुसार उपरोक्त भूमि को उपयोग में ला रहें है, परन्तु द्वितीय पक्ष के सदस्य पार्वती देवी के नाम से जाली एवं बनावटी कागजात तैयार कर प्रथम पक्ष की जमीन	

को हड़पना चाहते है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान कि तुलसी ठाकुर एवं हरिहर ठाकुर ने संयुक्त रूप से प्लॉट नं0 86 एवं 23 अन्तर्गत 20 डी0 जमीन मोकरी देवी के साथ बिक्री किया है। द्वितीय पक्ष के सदस्य प्रथम पक्ष के हिस्से की जमीन हथियाना चाहते है।

प्रथम पक्ष द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित कागजात की छायाप्रतियाँ दाखिल किया गया है :–

1. संजीदा खातून द्वारा तुलसी हजाम वगैरह के पक्ष में निष्पादित केवाला का इन्डेक्स्ट।
2. तुलसी ठाकुर वगैरह द्वारा भुकरी देवी के पक्ष में निष्पादित केवाला।

दूसरी ओर द्वितीय पक्ष संख्या 01 का कहना है कि इनकी माँ–पार्वती देवी को प्लॉट नं0 86 की जमीन 50 साल पूर्व बजरिए खरीदगी के हासिल है एवं खरीदगी से ही उक्त जमीन पर दखलकार चले आ रहें है तथा सरकारी मालगुजारी रसीद कटवाते चले आ रहें है। प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल कागजात जाली एवं बनावटी है। मुकरी देवी के साथ 20 डी0 जमीन बिक्री किए जाने की बात बिल्कुल गलत है। मुकरी देवी का उक्त भूमि पर कोई दखल–कब्जा नहीं है। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रथम पक्ष द्वारा आज तक कोई केवाला दाखिल नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष की माँ ने चाहरदिवारी का निर्माण की है एवं वर्तमान में इनके लड़का मकान का निर्माण कर रहें थे, जिसको लेकर प्रथम पक्ष के सदस्य द्वितीय पक्ष को तंग–तबाह कर रहें है। विज्ञ अधिवक्ता ने आगे कहा कि यदि तुलसी हजाम वगैरह द्वारा वर्ष 1972 में क्रय की गई भूमि को सही मान भी लिया जाता है, तो उक्त जमीन के तीन हिस्सा में एक हिस्सा द्वितीय पक्ष संख्या 01 से 03 तक का बनता है।

द्वितीय पक्ष संख्या 01 द्वारा निम्नांकित कागजात की छायाप्रतियाँ दाखिल किया गया है :–

1. पंजी–2 का कम्प्यूटर जनित प्रति।
2. सरकारी लगान रसीद का कम्प्यूटर जनित प्रति।

प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष संख्या 01 के विज्ञ अधिवक्तओं का दलील सूना एवं प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष संख्या 01 द्वारा समर्पित

कारण–पृच्छा/कागजात का सुक्ष्मावालोकन किया। प्रथम पक्ष के सदस्य संजीदा खातून द्वारा तुलसी हजाम वगैरह के पक्ष में निष्पादित केवाला के आधार पर वादगत भूमि पर हिस्सा चाहेत है, जिसकी पुष्टि पुलिस प्रतिवेदन से भी होती है, जबकि द्वितीय पक्ष संख्या 01 का दावा इनकी माँ–पार्वती देवी द्वारा क्रय की गई उक्त जमीन के आधार पर है। अभिलेख के साथ संचित कारण–पृच्छा एवं पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष प्रश्नगत भूमि पर अपना हिस्सा चाहते है, जिसका निराकरण इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस मामले का निराकरण हेतु प्रथम पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय में जा सकते है।

अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित।

26/06/23

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।

26/06/23

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।

Digitally signed by Vishal Deep Khalkho
Date: 2023.06.19 15:14:49 +05:30
Location: 192.168.29.151